रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 1991/ज्येष्ठ 2, 1913
No. 103] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 1991/JYAISTHA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 मई, 1991

आ.अ. 139(अ):—66-इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उसके सभी खण्डों से निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तारीख 21 मई, 1991 के आदेश को सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन जारी की गई तारीख 19 अप्रैल, 1991 की अपनी अधिसूचना संख्या 464/91(1) में

(i) तारीख 20 मई, 1991 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया जिसको उत्तर प्रदेश के 66-इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जायेगा, और

(ii) तारीख 31 मई, 1991 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया जिसके पूर्व उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लिया जायेगा, और

निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, प्रेक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित सूचना प्राप्त हुई है और निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध अन्य संबंधित सूचना के स्रोतों के अनुसार, मतदान की तारीख अर्थात् 20 मई, 1991 को बड़े पैमाने पर निर्वाचन अपराधों की घटनाएं हुई हैं, जिनमें मतदान केन्द्रों के अधिग्रहण द्वारा बूथ हथियाने, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों को समर्पित करवाने, मतदान केन्द्र पर जबरदस्ती कब्जा करने और मतदान के प्रयोजन के लिए मतदाताओं की स्वतंत्र पहुंच को रोकने, निर्वाचकों को धमकाने और उनको मत डालने के

लिए मतदान केन्द्र पर उनको जाने से रोकना सम्मिलित हैं, और जिसके परिणामस्वरुप उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं हुए है, और

उपरोक्त सूचना के आधार पर और सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् आयोग का समाधान हो गया है कि उपरोक्त कारणों की वजह से निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है,

अतः, अब, निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58, 58क, 135क और 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस बारे में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करता है।

निर्वाचन आयोग यह भी निदेश देता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति रिटर्निंग आफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और सभी अन्य संबंधितों को भेजी जायेगी ।

आयोग यह भी निदेश देता है कि उपरोक्त आदेश को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नई दिल्ली, टी.एन.शेषन,
तारीख 21 मई, 1991 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[सं० 492/उ.प्र./91 (1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st May, 1991

O.N. 139(E).—The order of the Chief Election Commissioner dated 21st May, 1991 countermanding the election from 66-Etawah Parliamentary constituency is published for general information.

ORDER

Whereas, the Election Commission in its Notification No. 464|91(1) dated 19th April, 1991, issued under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) had

(i) fixed the 20th May, 1991, as the date on which poll shall be taken in the Parliamentary constituency of 66-Etawah of Uttar Pradesh and

(ii) specified the 31st May, 1991, as the date before which the election shall be completed in the above constituency ; and

Whereas, the Election Commission has received information based on the reports of the State Govt., the Chief Electoral Officer of the State, the Returning Officer, the Observers, and other relevant sources of information available to the Election Commission that on the date of poll i.e. 20th May, 1991, there has been large scale incidence of electoral malpractices involving booth capturing by seizure of polling stations, making polling authorities surrender the ballot papers, taking forcible possession of polling station and prevention of free access to the voters for the purpose of voting, threatening electors and preventing them from going to the polling station to cast their vote, and that consequently the polls in the aforesaid constituency have not been free or fair; and

Whereas, the Commission on the basis of the aforesaid information and after taking into consideration all the material circumstances, is satisfied that due to the aforesaid factors the result of the constituency has been seriously affected;

Now, therefore, the Commission, in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India, Sections 58, 58A, 135A and 153 of the Representation of People Act, 1951, and all other powers enabling it in this behalf, hereby countermands the aforesaid election.

The Election Commission also directs that a copy of this order shall be forwarded to the Returning Officer, the Chief Electoral Officer, all the contesting candidates, and all others concerned.

The Commission also directs that the above order may be published in the Official Gazette for general information.

T. N. SESHAN, Chief Election Commission of India
[No. 492|UP|91(1)]

New Delhi,
Dated 21-5-91.

आ.अ. 140(अ):—78-बुलन्दशहर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और उसके सभी खण्डों से निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करने वाले मख्य निर्वाचन आयुक्त के तारीख 21 मई, 1991 के आदेश को सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन जारी की गई तारीख 19 अप्रैल, 1991 की अपनी अधिसूचना संख्या 464/91(1) में

(i) तारीख 20 मई, 1991 को ऐसी तारीख के रुप में नियत किया जिसको उत्तर प्रदेश के 78-बुलन्दशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा, और

(ii) तारीख 31 मई, 1991 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया जिसके पूर्व उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लिया जायेगा और

निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, प्रेक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित सूचना प्राप्त हुई है और निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध अन्य संबंधित सूचना के स्रोतों के अनुसार मतदान की तारीख अर्थात् 20 मई, 1991 को बड़े पैमाने पर निर्वाचन अपराधों की घटनाएं हुई हैं, जिनमें मतदान केन्द्रों के अभिग्रहण द्वारा बूथ हथियाने, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों को समर्पित करवाने, मतदान केन्द्र पर जबरदस्ती कब्जा करने और मतदान के प्रयोजन के लिए मतदाताओं की स्वतंत्र पहुंच को रोकने, निर्वाचकों को धमकाने और उनको मत डालने के लिए मतदान केन्द्र पर उनको जाने से रोकना सम्मिलित हैं, और जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं हुए हैं, और

उपरोक्त सूचना के आधार पर और सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात, आयोग का समाधान हो गया है कि उपरोक्त कारणों की वजह से निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम गंभीर रुप से प्रभावित हुआ है ।

अतः, अब, निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58, 58क, 135क और 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस बारे में इसे समर्थ बनाने अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करता है।

निर्वाचन आयोग यह भी निदेश देता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति रिटर्निंग आफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और सभी अन्य संबंधितों को भेजी जायेगी।

आयोग यह भी निदेश देता है कि उपरोक्त आदेश को सर्व-साधारण की सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नई दिल्ली, टी. एन. शेषन,

तारीख 21 मई, 1991 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं 492/उ० प्र०/91/(2)]

O.N. 140(E).—The order of the Chief Election Commissioner dated 21st May, 1991 countermanding the election from 78-Bulandshahr Parliamentary Constituency is published for general information.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Whereas, the Election Commission in its Notification No. 464/91(1) dated 19th April, 1991, issued under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) had

(i) fixed the 20th May, 1991, as the date on which poll shall be taken in the Parliamentary constituency of 70 Bulandshahr of Uttar Pradesh; and stituency; and

(ii) specified the 31st May, 1991, as the date before which the election shall be completed in the above con-

Whereas, the Election Commission has received information based on the reports of the State Govt., the Chief Electoral Officer of the State, the Returning Officer, the Observers, and other relevant sources of information available to the Election Commission that on the date of poll i.e. 20th May, 1991, there has been large scale incidence of electoral malpractices involving booth capturing by seizure of pooling stations, making polling authorities surrender the ballot papers, taking forcible possession of polling station and prevention of free access to the voters for the purpose of voting, threatening electors and preventing them from going to the polling station to cast their vote, and that consequently the polls in the aforesaid constituency have not been free or fair; and

Whereas, the Commission on the basis of the aforesaid information and after taking into consideration all the material circumstances, is satisfied that due to the aforesaid factors the result of the constituency has been seriously affected;

Now therefore, the Commission, in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India, Sections 58, 58A, 135A and 153 of the Representation of People Act, 1951, and all other powers enabling it in this behalf, hereby countermands the aforesaid election.

The Election Commission also directs that a copy of this order shall be forwarded to the Returning Officer, the Chief Electoral Officer, all the contesting candidates, and all others concerned.

The Commission also directs that the above order may be published in the Official Gazette for general information.

T. N. SESHAN, Chief Election Commissioner of India

[No. 492|UP|91(2)]

New Delhi,

Dated 21-5-91.

आ.अ० 141(अ):—80-मेरठ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और उसके सभा खण्डों से निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तारीख 21 मई, 1991 के आदेश को सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन जारी की गई तारीख 19 अप्रैल, 1991 की अपनी अधिसूचना संख्या 464/91(1) में

(i) तारीख 20 मई, 1991 को ऐसी तारीख के रुप में नियत किया जिसको उत्तर प्रदेश के 80-मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जायेगा, और

(ii) तारीख 31 मई, 1991 को ऐसी तारीख के रुप में विनिर्दिष्ट किया जिसके पूर्व उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लिया जायेगा, और

निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, प्रेक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित सूचना प्राप्त हुई है और निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध अन्य संबंधित सूचना के स्रोतों के अनुसार, मतदान की तारीख अर्थात 20 मई, 1991 को बड़े पैमाने पर निर्वाचन अपराधों की घटनाएं हुई हैं, जिनमें मतदान केन्द्रों के अभिग्रहण द्वारा बूथ हथियाने, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों को समर्पित करवाने, मतदान केन्द्र पर जबरदस्ती कब्जा करने और मतदान के प्रयोजन के लिए मतदाताओं की स्वतंत्र पहुंच को रोकने, निर्वाचकों को धमकाने और उनको मत डालने के लिए मतदान केन्द्र पर उनको जाने से रोकना सम्मिलित हैं, और जिसके परिणामस्वरुप उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहीं हुए हैं, और

उपरोक्त सूचना के आधार पर और सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् आयोग का समाधान हो गया है कि उपरोक्त कारणों की वजह से निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58, 58क, 135क, 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस बारे में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करता है।

निर्वाचन आयोग यह भी निदेश देता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति रिटर्निंग आफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और सभी अन्य संबंधितों को भेजी जायेगी।

आयोग यह भी निदेश देता है कि उपरोक्त आदेश को सर्व-साधारण की सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नई दिल्ली — टी०एन० शेषन,
तारीख 21 मई, 1991 — भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० 492/उ.प्र./91(3)]

आदेश से

हरिन्दर हीरा, सचिव

O.N. 141(E).—The order of the Chief Election Commissioner dated 21st May, 1991 countermanding the eection from 80-Meerut Parliamentary Constituency is published for general information.

ORDER

Whereas, the Election Commissioner in its Notification No. 464/91(1) dated 19th April, 1991, issued under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) had

(i) fixed the 20th May, 1991, as the date on which poll shall be taken in the Parliamentary constituency of 80 Meerut of Uttar Pradesh; and

(ii) specified the 31st May, 1991, as the date before which the election shall be completed in the above constituency; and

Whereas, the Election Commission has received information based on the reports of the State Govt., the Chief Electoral Officer of the State, the Returning Officer, the Observers, and other relevant sources of information available to the Election Commission that on the date of poll i.e. 20th May, 1991, there has been large scale incidence of electoral malpractices involving booth capturing by seizure of pooling stations, making polling authorities surrender the ballot papers, taking forcible possession of polling station and prevention of free access to the voters for the purpose of voting, threatening electors and preventing them from going to the polling station to cast their vote, and that consequently the polls in the aforesaid constituency have not been free or fair; and

Whereas, the Commission on the basis of the aforesaid information and after taking into consideration all the material circumstances, is satisfied that due to the aforesaid factors the result of the constituency has been seriously affected;

Now therefore, the Commission, in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India, Sections 58, 58A, 135A and 153 of the Representation of People Act, 1951, and all other powers enabling it in this behalf, hereby countermands the aforesaid election.

The Election Commission also directs that a copy of this order shall be forwarded to the Returning Officer, the Chief Electoral Officer, all the contesting candidates, and all others concerned.

The Commission also directs that the above order may be published in the Official Gazette for general information.

T. N. SESHAN, Chief Election Commissioner of India

New Delhi,
Dated 21-5-91.

By Order,

[No. 492(UP)/91 (3)]
HARINDER HIRA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991